न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

अपील एल.आर. संख्या 50/2014 (02/2007)/ जिला–नागौर

1. धापी पत्नी स्व0 जोराराम, जाति जाट निवासी खारी कर्मसोता, तहसील व जिला नागौर।
2. भंवरी पुत्री स्व0 जोराराम पत्नी श्री रामचन्द्र जाति जाट निवासी जोसियाद तहसील व जिला नागौर।
3. छोटी पुत्री स्व0 जोराराम पत्नी श्री नृसिंह, जाति जाट निवासी जोसियाद तहसील व जिला नागौर।

..... अपीलांट्स

बनाम

1. आदूराम पुत्र पदमाराम
2. कानाराम पुत्र पदमाराम (फौत) के कायम मुकामः–
   1. चुन्नी पत्नी कानाराम
   2. तिलाराम पुत्र कानाराम
   3. दूदाराम पुत्र कानाराम
   4. तुलछाराम पुत्र कानाराम
   5. भंवराराम पुत्र कानाराम
   6. रामनिवासी पुत्र कानाराम (नाबालिग) जरिये माता चुन्नी
   7. बुद्धि पत्नी मुलतान राम पुत्री कानाराम
   8. मेनी पत्नी पुरखाराम पुत्री कानाराम
   9. सोनी पत्नी शिम्भूराम पुत्री कानाराम
3. मानाराम पुत्र पदमाराम
   समस्त जाति जाट निवासी खारी कर्मसोता, तहसील व जिला नागौर।
4. तहसीलदार नागौर।

.....रेस्पोन्डेन्टस्

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 राजथान भू–राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्व अपर जिला कलक्टर, नागौर दिनांक 31–10–2006
अपील संख्या 43/2005 (46/2004) बउनवान श्रीमति धापी वगैरह
बनाम श्री आदूराम वगैरह

उपस्थित : 1. श्री अनिल गौड़ अभिभाषक अपीलान्ट्स
2.श्री राधेश्याम सागवा अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट् संख्या 1

निर्णय

दिनांक : 27–09–2017

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि स्व0 श्री पदमाराम अपीलांट संख्या 1 धापी के ससुर तथा भंवरी व छोटी के दादा थे तथा प्रत्यर्थी संख्या 1 व 3 के पिता व 2(1) से 2(9) के ससुर व दादा थे। पदमाराम का देहान्त सम्वत् 1955 में होने के पश्चात रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 श्री आदूराम पुत्र पदमाराम द्वारा तहसीलदार, नागौर के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पदमाराम ने अपने जीवनकाल में आदूराम, कानाराम व मानाराम के पक्ष में एक वसीयत निष्पादित की है उक्त वसीयत के आधार पर तीनों के नाम नामान्तरकरण भरा जावे। उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर तहसीलदार, नागौर द्वारा अपने आदेश दिनांक 22–6–2000 से रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 के नाम नामान्तरकरण भरने का आदेश पारित कर दिया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलांट्स ने एक अपील अपर जिला कलक्टर, नागौर के समक्ष प्रस्तुत की जिसे उन्होंने अपने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 31–10–2006 द्वारा खारिज कर दिया। उक्त निर्णय से असन्तुष्ट होकर अपीलांट्स द्वारा यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा संबंधित अभिलेख तलब किया गया। दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान मुख्य मुख्य तर्क दिये कि राजस्थान भू–अभिलेख नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी भी वसीयत का नामान्तरकरण तभी स्वीकार किया जा सकता है जब वसीयतनामा रजिस्टर्ड हो जबकि वर्तमान प्रकरण में वसीयतनामा प्रथम दृष्टया ही फर्जी प्रतीत हो रहा है एवं वसीयत रजिस्टर्ड भी नहीं है। इसलिए तहसीलदार, नागौर द्वारा उक्त वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण भरने संबंधी पारित आदेश विधिविरूद्ध था। अधिनस्थ न्यायालय अपर जिला कलक्टर नागौर द्वारा सरसरी तौर पर उक्त बिन्दु पर निर्णय पारित कर कानूनी भूल की गई है।

उन्होंने यह भी तर्क दिया कि तथाकथित वसीयतनामें पर जो स्टॉम्प लिये जाने बतलाये गये है वह किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नागौर से क्रय करना बताया है व स्टॉम्प खरीद की तारीख 13–7–98 बताई गई है एवं जो वसीयत लिखी गई है उसमें दिनांक 10–7–1998 अंकित की है। रेस्पोन्डेन्ट द्वारा जब स्टॉम्प ही दिनांक 13–7–98 को क्रय किये है तब वसीयत का दिनांक 10–7–98 को लिखा जाना स्वतः ही सन्देह उत्पन्न करता है। वसीयत पर जो गवाहों के अंगूठा निशान लिये गये है वह भी अनपढ़ व्यक्ति की अंगूठा निशानी है जिसमें संबंधित व्यक्ति के नाम का भी उल्लेख नहीं है तथा वसीयत किस व्यक्ति द्वारा टाईप की गई है उसका नाम भी वसीयत पर अंकित नहीं है। रेस्पोन्डेन्ट्स द्वारा प्रस्तुत तथाकथित वसीयतनामा फर्जी व झूठा है। वसीयतनामे पर जो अंगूठा निशानी पदमाराम के

बताये गये है वे दोनों ही भिन्न–भिन्न है। तथाकथित वसीयतनामा पदमाराम द्वारा लिखवाया ही नहीं गया है उक्त सभी महत्वपूर्ण बिन्दुओं को नजरअन्दाज कर तहसीलदार, नागौर व अपर जिला कलक्टर, नागौर द्वारा निर्णय पारित किये है जो निरस्त योग्य है।

उनका यह भी तर्क है कि स्व0 पदमाराम के 4 पुत्र थे जिनमें से रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 है व चौथा जोराराम है जिसका देहान्त हो चुका है जिसके उत्तराधिकारीगण अपीलांट्स है । जब तहसीलदार, नागौर के समक्ष रेस्पोन्डेन्ट्स ने नामान्तरकरण के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया तब तहत न्यायालय का विधिक दायित्व था कि वह अपीलांट्स को भी सुनवाई का अवसर देकर आदेश पारित किया जाना चाहिए था। मगर तहसीलदार, नागौर द्वारा अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना आदेश दिनांक 22–6–2000 पारित कर दिया। उक्त बिन्दु पर भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कोई निर्णय पारित नहीं कर कानूनी त्रुटि की गई है। तहसीलदार, नागौर द्वारा पारित आदेश की जानकारी अपीलांट्स को दिनांक 22–4–2006 को हुई थी। अपीलांट्स तहसीलदार, नागौर के समक्ष पक्षकार नहीं थे एवं उनकी अनुपस्थिति में आदेश पारित किया गया था। रेस्पोन्डेन्ट्स ने राजस्व वाद में उक्त निर्णय की प्रति पेश की तब अपीलांट्स द्वारा उक्त आदेश की नकल प्राप्त कर अन्दर मियाद अपील प्रस्तुत की किन्तु अधिनस्थ न्यायालय अपर जिला कलक्टर, नागौर ने अपीलांट्स की अपील अन्दर मियाद होते हुए भी मियाद बाहर अपील मानते हुए अपील को खारिज कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो निरस्त योग्य है।

उनका यह भी तर्क है कि दोनों पक्षकारों के मध्य उपरोक्त राजस्व वाद सक्षम न्यायालय में लम्बित है एवं पक्षकारों के हकों एवं अधिकारों का निस्तारण भी राजस्व वाद से ही तय होना है इस कारण उक्त नामान्तरकरण की संक्षिप्त कार्यवाही को रोक देना चाहिए था। मगर तहत न्यायालयों द्वारा उक्त महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु को नजर अन्दाज कर विधिविरूद्ध अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अतः अपीलांट्स की अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय अपर जिला कलक्टर नागौर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 31–10–2006 एवं तहसीलदार, नागौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–6–2000 निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

उक्त बहस के जवाब में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि श्री पदमाराम द्वारा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 के पक्ष में तस्दीक अपंजीकृत वसीयतनामा वैद्य है। अपीलांट्स द्वारा वसीयतनामा को इस न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। वसीयतनामा को सिविल न्यायालय में चुनौती देकर ही रद्द करवाया जा सकता हैं विवादित प्रकरण में नामान्तरकरण भरने का अधिकार तहसीलदार को है। तहसीलदार, नागौर द्वारा दिनांक 22–6–2000 को आदेश पारित करने के पश्चात अपीलांट्स द्वारा वर्ष 2002 में न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) नागौर में राजस्व वाद घोषणा खातेदारी, बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया गया है जो विचाराधीन है। उक्त राजस्व वाद में

ही पक्षकारों के अधिकार तय होंगे न कि नामान्तरकरण की कार्यवाही में। विवादग्रस्त आराजियात स्व0 पदमाराम की स्वअर्जित भूमि हैं जिसको वह अपनी इच्छानुसार किसी को भी वसीयत करने का अधिकार होने से उनके द्वारा दिनांक 10–7–98 को रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 आदूराम, रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 कानाराम रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 मानाराम के पक्ष में वसीयतनामा निष्पादित किया गया है जो विधिसम्मत है। अपीलांट्स को स्व0 पदमाराम की स्वअर्जित भूमि में किसी प्रकार का कोई हक एवं अधिकार निहित नहीं है। अपीलांट्स द्वारा उक्त तथाकथित वसीयतनामें को किसी भी सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई है। अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की सुनी बहस पर मनन किया तथा सम्बन्धित अभिलेख एवं दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन व अध्ययन किया गया । पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विवादग्रस्त आराजियात स्व0 पदमाराम की स्वअर्जित आराजियात है जिसमें स्व0 पदमाराम के सभी पुत्रों एवं पुत्रियों का बराबर का हक एवं अधिकार निहित है। तहसीलदार, नागौर द्वारा केवल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 के नाम ही नामान्तरकरण भरने के आदेश पारित किये है जबकि स्व0 पदमाराम का चौथा पुत्र जोराराम है जिसका स्वर्गवास हो चुका है जिनके वारिसान अपीलांट्स संख्या 1 से 3 है जिनके नाम का उल्लेख नहीं किया गया है जबकि विवादग्रस्त आराजियात स्व0 पदमाराम की स्वअर्जित आराजियात है जिसमें सभी विधिक पक्षकारों का बराबर का हक एवं अधिकार निहित है। तहसीलदार, नागौर द्वारा आदेश दिनांक 22–6–2000 पारित करते समय अपीलांट्स को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना आदेश पारित किया है। साथ ही स्टॉम्प दिनांक 13–7–98 को क्रय किये गये है। और वसीयत दिनांक 10–7–98 को लिखी गई है। वसीयतनामें पर जो गवाह के अंगूठा निशानी अंकित है उस पर गवाह के नाम भी अंकित नहीं है जो देखने मात्र से सन्देहास्पद प्रतीत होती है। दोनों पक्षकारों के मध्य न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) नागौर में एक राजस्व वाद घोषणा खातेदारी, बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया गया है जो विचाराधीन है। इसके विपरीत यह निर्विवाद तथ्य है कि स्व0 जोराराम मृतक खातेदार स्व0 पदमाराम का पुत्र है एवं जोराराम की पत्नी व पुत्रियों का पिता के हिस्से की आराजियात में हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा–8 के अन्तर्गत प्रथम श्रेणी का वारिस माना है जिससे नामान्तरकरण कार्यवाही जो एक फिस्कल प्रोसिडिंग है, से किसी के हकों का निर्धारण नहीं किया जा सकता। अपीलान्ट अभिभाषक ने पक्षकारान के मध्य राजस्व वाद होना बताया है तो अपीलान्ट द्वारा उक्त वाद के जरिये वसीयत के बिन्दु को तय कराया जा सकता है तथा उसमे पारित निर्णय अनुसार पुनः कार्यवाही की जा सकती है। तहसीलदार, नागौर एवं अधिनस्थ न्यायालय अपर जिला कलक्टर, नागौर द्वारा उक्त महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दुओं को नजर अन्दाज कर विधिविरूद्ध निर्णय पारित किया है जो निरस्त योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन व विशलेषण के आधार पर अपीलान्टस की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय (अपर जिला कलक्टर) नागौर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 31–10–2006 अन्तर्गत प्रकरण संख्या 43/2005(46/2004) बउनवान श्रीमति धापी वगैरह बनाम श्री आदूराम वगैरह तथा तहसीलदार, नागौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–6–2000 त्रूटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार, नागौर को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे स्व0 पदमाराम के विधिक पक्षकारों को विधिवत सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर देकर नये सिरे से नामान्तरकरण संबंधी आदेश पारित करे।

(हनुमान सहाय मीना)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर